उच्च न्यायालय उत्तराखंड, नैनीताल

माननीय श्री न्यायाधीश अलोक कुमार वर्मा

15 मार्च, 2023

2021 का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र No.2716

मध्य

अंकित उपनाम काका ..... आवेदक

बनाम

मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो और एक अन्य ..... प्रतिवादी ।

साथ में

2021 का पहला जमानत आवेदन No.2718

बीच में

विपिन कुमार ..... आवेदक

बनाम

मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो और एक अन्य प्रतिवादी

आवेदकों के लिए वकील

-श्री अंकुर शर्मा,

अधिवक्ता।

प्रत्यर्थी के लिए अधीवक्ता श्री शोभित सहारिया, अधिवक्ता।

माननीय न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा

ये दोनों जमानत आवेदन एन. सी. बी. अपराध सं. 05/एन. सी. बी./डी. डी. एन./2020 (विशेष सत्र विचारण सं. 2021 का 136, "नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, देहरादून के माध्यम से भारत संघ बनाम अंकित उपनाम काका और अन्य "), नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (संक्षेप में "अधिनियम 1985") की धारा 8/22/27 A/29 के अंतर्गत अपराध के लिए NCB उप-क्षेत्र, देहरादून में पंजीकृत है।

2. ये दोनों जमानत आवेदन एक अपराध संख्या i.e एन. सी . बी. अपराध संख्या 05 से उत्पन्न हुए हैं। इसलिए, इन दोनों जमानत आवेदनों पर विचार किया जा रहा है और इस सामान्य आदेश द्वारा निर्णय लिया जा रहा है।2021 के प्रथम जमानत आवेदन No.2716 का अभिलेख प्रमुख फाइल होगा।

3. श्री अंकुर शर्मा, आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता और श्री शोभित सहारिया, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के विद्वान अधिवक्ता/प्रतिवादी नं। 1. को सुना ।

4. श्री शोभित सहारिया, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (संक्षेप में "एन. सी. बी".) के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामले के अनुसार, 24.12.2020 को :12:20 बजे, एन. सी. बी. के कनिष्ठ खुफिया अधिकारी आशु शर्मा को एक गुप्त सूचना मिली कि दो व्यक्ति, अंकित उपनाम काका (वर्तमान आवेदक) मोटरसाइकिल धारक <आई. डी. UK16C9943> और विपिन कुमार (वर्तमान आवेदक) मोटरसाइकिल धारक <आई. डी. UK07DB5409> के साथ तिब्बत निपटान कार्यालय, लखनवाला, हरबर्टपुर, देहरादून के पास एक व्यक्ति को ड्रग इंजेक्शन, डायजेपाम, ब्यूप्रेनोर्फिन और फेनारगन बेचने जा रहे थे।उक्त गुप्त जानकारी के आधार पर, इंजेक्शन के 150 एम्पूल (ब्यूप्रेनोर्फिन-50 नंबर, डायजेपाम-50 नंबर। और फेनारगन-50 संख्या)। वर्तमान आवेदक अंकित उपनाम काका के कब्जे से और इंजेक्शन (ब्यूप्रेनोर्फिन-98 नंबर, डायजेपाम-98 नंबर) के 264 एम्पूल बरामद किए गए। और फेनारगन-98 संख्या) वर्तमान आवेदक विपिन कुमार के कब्जे से 24.12.2020 पर धोगू युगुलिंग, तिब्बती निपटान कार्यालय, लखनवाला, हरबर्टपुर, देहरादून के पास बरामद किए गए।नतीजतन, अधिनियम, 1985 की खंड 67 के अंतर्गत अंकित उपनाम काका और विपिन कुमार को नोटिस जारी किए गए।

श्री आशु शर्मा के समक्ष 24.12.2020 और 25.12.2020 पर दर्ज अपने स्वैच्छिक बयानों में, अंकित उपनाम काका ने अपना अपराध स्वीकार किया था कि उक्त इंजेक्शन उसके कब्जे से बरामद किए गए थे।इसके बाद, उन्हें 25.12.2020 को 15:30 बजे गिरफ्तार किया गयाः. अधिनियम, 1985 की खंड 67 के अंतर्गत 24.12.2020 और 25.12.2020 को वर्तमान आवेदक विपिन कुमार के बयान दर्ज किए गए थे।अपने बयानों में, उन्होंने कहा कि उक्त बरामद इंजेक्शन उनके द्वारा एक व्यक्ति, गौरव उपनाम रजत कुमार (सह आरोपी) से खरीदे गए थे।आवेदक विपिन कुमार को 25.12.2020 को 15:40 बजे गिरफ्तार किया गया थाः. जाँच पूरी होने के पश्चात विशेष न्यायाधीश (एन. डी. पी. एस. अधिनियम), देहरादून के समक्ष 21.06.2021 को एक शिकायत दर्ज की गई।

5. आवेदकों की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता अंकुर शर्मा ने कहा कि आवेदक निर्दोष व्यक्ति हैं।जब्त किए गए प्रतिबंधित पदार्थ आवेदकों के कब्जे से बरामद नहीं किए गए।कथित रूप से साजीश की गई थी।उन्होंने अग्रेतर कहा कि शिकायत के अनुसार, प्रतिवादी नं।1 ने सभी इंजेक्शनों को मिला दिया, जो कथित रूप से आवेदकों से बरामद किए गए थे और उन्हें तीन डिब्बों में सील कर दिया गया था, इसके बाद, उन्हें संबंधित मजिस्ट्रेट के सामने 02.01.2021 पर पेश किया गया और प्रत्येक इंजेक्शन का एक एम्पूल फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के लिए तैयार किया गया।इसलिए, यह स्पष्ट नहीं है कि आवेदक अंकित उपनाम काका से कौन से इंजेक्शन बरामद किए गए थे या आवेदक विपिन कुमार से कौन से इंजेक्शन बरामद किए गए थे।

6. आवेदकों विद्वान अधिवक्ता अंकुर शर्मा ने अग्रेतर कहा कि प्रतिवादी ने राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिनियम 1985 की खंड 52ए की उप-खंड (1) के अंतर्गत जारी स्थायी आदेश संख्या 1/89 दिनांक 13.06.1989 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है।

आवेदकों के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि अधिनियम 1985 की खंड 67 के अंतर्गत दर्ज एक इकबाविद्वान बयान स्वीकार्य नहीं है।

1. अधिवक्ता श्री शोभित सहारिया ने प्रस्तुत किया कि भारत संघ बनाम मोहन लाल और अन्य (2016) 3 एस. सी. सी. 379 में पारित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुपालन में, संबंधित मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में नमूने लिए गए थे और संबंधित मजिस्ट्रेट ने इस आशय का प्रमाण पत्र जारी किया था।यद्यपि उन्होंने निष्पक्ष रूप से स्वीकार किया कि स्थायी आदेश के खंड 2.5 का सख्ती से पालन नहीं किया गया था।

8.

उक्त स्थायी आदेश का खंड 2.5 निम्नानुसार हैः

"2.5।यद्यपि जब एक साथ जब्त किए गए पैकेज/कंटेनर समान आकार और वजन के होते हैं, जिनमें समान निशान होते हैं, और प्रत्येक पैकेज की सामग्री को दवा पहचान किट द्वारा रंग परीक्षण पर समान परिणाम दिया जाता है, जो निर्णायक रूप से इंगित करता है कि पैकेज सभी मामलों में समान हैं, तो पैकेज/कंटेनरों को गांजा और हशीश (चरस) के मामले को छोड़कर दस पैकेजों/कंटेनरों में सावधानीपूर्वक रखा जा सकता है, जहां इसे ऐसे 40 पैकेजों/कंटेनरों में रखा जा सकता है।ऐसे पैकेजों/पात्रों के प्रत्येक समूह के लिए, एक नमूना (डुप्लिकेट में) खींचा जा सकता है।

9. वर्तमान मामले में आरोप वाणिज्यिक मात्रा के संबंध में है।इस स्तर पर अधिनियम, 1985 की खंड 37 के प्रावधान का उल्लेख करना उचित होगा।अधिनियम, 1985 की खंड 37 इस प्रकार हैः-

"37. संज्ञेय और गैर-जमानती होने वाले अपराध-(1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में कुछ भी निहित होने के बावजूद,

(क) इस अधिनियमक के अंतर्गत प्रत्येक दण्डनीय अपराध संज्ञेय होता है ।

(बी) धारा 19 या धारा 24 या धारा 27ए के अंतर्गत और वाणिज्यिक मात्रा से जुड़े अपराधों के लिए दंडनीय अपराध के आरोपी किसी भी व्यक्ति को जमानत पर या अपने स्वयं के मुचलके पर तब तक रिहा नहीं किया जाएगा जब तक कि

(i) लोक अभियोजक को ऐसी रिहाई के लिए आवेदन का विरोध करने का अवसर दिया गया है, और

(ii) जहां लोक अभियोजक आवेदन का विरोध करता है, वहां अदालत का समाधान होता है कि यह विश्वास करने के लिए उचित आधार हैं कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर रहते हुए उसके द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है।

(2) उप-धारा (1) के खंड (बी) में निर्दिष्ट जमानत देने की सीमाएं दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) या जमानत देने पर उस समय लागू किसी अन्य कानून के से सीमाओं के अलावा हैं।

10 "। अधिनियम, 1985 में "उचित आधार" को परिभाषित नहीं किया गया है।केरल राज्य बनाम राजेश और अन्य, ए. आई. आर. 2020 एस. सी. 721 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि "उचित आधार" अभिव्यक्ति का अर्थ प्रथमदृष्टया आधार से कुछ अधिक है।नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बनाम मोहित अग्रवाल, 2022 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 891 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने

माना है कि "उचित आधार" का अर्थ विश्वसनीय, प्रशंसनीय और अदालत के लिए यह विश्वास करने के लिए आधार है कि आरोपी व्यक्ति कथित अपराध का दोषी नहीं है।

11. 10.01.2022 को , माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विचारण ने अपील करने के लिए विशेष अनुमति याचिका (सी. आर. एल.) 242/2022 , "स्टेट बाय (एन. सी. बी.) बेंगलुरु बनाम पल्लुलाबीद अहमद अरिमुट्टा एंड अदर", ने कहा कि तोफान सिंह बनाम तमिलनाडु राज्य, (2021) 4 एस. सी. सी. 1 में यह स्पष्ट रूप खंड माना गया है कि अधिनियम, 1985 की धारा 67 के अंतर्गत दर्ज किया गया इकबालिया बयान अधिनियम, 1985 के अंतर्गत अपराध के मुकदमे में अस्वीकार्य रहेगा।

स्थाई आदेश के क्लॉज़ 2.5 मे नमूने लेने की प्रक्रिया है।

वर्तमान मामले में, कथित रूप से बरामद प्रतिबंधित पदार्थ के नमूने स्थायी आदेश के अनुसार नहीं लिए गए थे।अदालतों से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वे शिकायतकर्ता के प्रत्येक शब्द को सत्य के रूप में प्रतिग्रहण करें और आवेदकों के विरुद्ध अधिनियम, 1985 की धारा 37 के प्रतिबंध का आह्वान करें।

13. व्यक्तिगत स्वतंत्रता एक बहुत ही सटीक मौलिक अधिकार है और इसे मात्र तभी कम किया जाना चाहिए जब यह मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार अनिवार्य हो जाए।

14. विद्वान अधिवक्ताक कि प्रस्तुति के अनुसार, नमूना तैयार करब स्थायी आदेशक के अनुरूप नहीं दिखाई देता , इसलिए इस स्तिथि मे ऐसे परिस्थितही मे आवेदक को दोषी नहीं ठहएराया नहीं जा सकता।

15. विचारण के दौरान अभियुक्त व्यक्तियों को हिरासत में रखने का उद्देश्य सजा नहीं है।मुख्य उद्देश्य स्पष्ट रूप से अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करना है।आवेदक 25.12.2020 के बाद से हिरासत में हैं।आवेदक अंकित उपनाम काका जिला देहरादून का स्थायी निवासी है और आवेदक विपिन कुमार जिला सहारनपुर का स्थायी निवासी है।इसलिए, आवेदकों के फरार होने की भी कोई संभावना नहीं है।इस बात का संकेत देने के लिए अभिलेख पर कुछ भी नहीं है कि आवेदक पहले किसी भी अस्वीकार्य गतिविधियों में शामिल थे।

16. विद्वान अधिवक्ता कि प्रविष्टियों को ध्यान मे रखते हुए और मामले के तथ्य और स्तिथि को देखते हुए , आवेदक को अनिश्चित काल के लिये कारावास मे बंद करने के पीछे कोई कारण नहीं है, इसलिए बिना किसी विचार को प्रस्तुत करे कोर्ट यह मानती है कि आवेदक को जमानत मिलनी चाहिए।

17.

जमानत आवेदनों की अनुमति है।

18. आवेदक-अनिकेत उपनाम काका और विपिन कुमार को निम्नलिखित शर्तों के साथ संबंधित अदालत की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत मुचलका निष्पादित करने और समान राशि में दो विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाएः-

i) वे नियमित रूप से विचारण न्यायालय में उपस्थित होंगे, और वे किसी भी अनावश्यक स्थगन की मांग नहीं करेंगे।

(ख) वे इस मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेंगे।

(ग) वे विचारण न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेंगे।

19. यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि आवेदक उन पर लगाई गई किसी भी शर्त का दुरुपयोग या उल्लंघन करते हैं, तो शिकायतकर्ता जमानत रद्द करने के लिए अदालत का रुख करने के लिए स्वतंत्र होगा।

20. पंजीकरण को निर्देश दिया जाता है कि वह आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित जेल अधीक्षक के माध्यम द्वारा कैदियों को तुरंत ई-मेल द्वारा इस जमानत आदेश की एक सॉफ्ट कॉपी भेजे।

21. इस आदेश की एक प्रति 2021 के प्रथम जमानत आवेदन No.2718 के अभिलेख पर रखी जाए।

आलोक कुमार वर्मा, जे।

दिनांक 15 मार्च, 2023

आरती